प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 726/2022
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रेम कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. नरेश कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 25/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 398/93 के खसरा न0 424 की 5.0580है0 व खसरा न0 665 की 5.0590है0 कुल 10.1170है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम व खाता स0 772/399 के खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के के ब0हि0ब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि में वादी का नाम दर्ज होने से छूट गया है तथा गलती से वादी का नाम खसरा न0 424 की 5.0580है0 व खसरा न0 665 की 5.0590है0 कुल 10.1170है0 भूमि में दर्ज हो गया इसलिए उपरोक्त भूमि में वादी अपना नाम कलमजन करवाकर न्यायालय से घोषणा करवाकर खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 3 के साथ बहिब का खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने दावा की सभी मदों/बातों को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का बाह्मी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि में वादी का नाम दर्ज होने से छूट गया है तथा गलती से वादी का नाम खसरा न0 424 की 5.0580है0 व खसरा न0 665 की 5.0590है0 कुल 10.1170है0 भूमि में दर्ज हो गया इसलिए उपरोक्त भूमि में वादी अपना नाम कलमजन करवाकर न्यायालय से घोषणा करवाकर खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 3 के साथ बहिब का खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 398/93 के खसरा न0 424 की 5.0580है0 व खसरा न0 665 की 5.0590है0 कुल 10.1170है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम व खाता स0 772/399 के खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के के ब0हि0ब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि में वादी खाता स0 398/3 में नाम कलमजन करवाकर खाता स0 772/399 में वादी प्रतिवादी स0 1 ता 3 के साथ ब0हि0ब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 398/93 के खसरा न0 424 की 5.0580है0 व खसरा न0 665 की 5.0590है0 कुल 10.1170है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज में वादी का नाम कलमजन किया जाता है व रोही मौजा ननाऊ खाता स0 772/399 के खसरा न0 668/1 की 5.1980है0 भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के के ब0हि0ब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 726 / 2022

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रेम कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. नरेश कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या **726** सन **2023**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 398 / 93 के खसरा न0 424 की 5.0580है0 व खसरा न0 665 की 5.0590है0 कुल 10.1170है0 भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज में वादी का नाम कलमजन किया जाता है व रोही मौजा ननाऊ खाता स0 772 / 399 के खसरा न0 668 / 1 की 5.1980है0 भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के के ब0हि0ब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:16 IST
Reason: SelfAttested